AnnexVVE-I

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-05



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

ਸਂ. 25] No. 25] नई दिल्ली, जून 16—जून 22, 2019, शनिवार/ज्येष्ठ 26—आषाढ़ 1, 1941

NEW DELHI, JUNE 16-JUNE 22, 2019, SATURDAY/JYAISTHA 26-ASADHA 1, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें माधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2019

सा.का.नि.184.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम 1975 को, जहाँ तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनकें प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।


- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसुची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **ब्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-मीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	18* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर2	अचयन	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख होगी। (नि कि वह अंतिम तारीख होगी। (नि कि वह अंतिम तारीख जो असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड,अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)



मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्निति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) शैक्षिक अहर्ताः- किसी मान्यता प्राप्त	हां, स्तम्भ (11) में उपदर्शित	दो वर्ष	85% कर्मचारी चयन आयोग मीधी
बोर्ड या विश्वविघालय मे 12वीं कक्षा या उसके समतुल्य अहर्ता। (ii) कम्प्यूटर पर दक्षता परीक्षण के मानक (क) अंग्रेजी में 35 श. प्र. मि. का टंकण (ख) हिंदी में 30 श.प्र.मि. का टंकण (अनुजात समयः 10 मिनट) (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिपै्रेशन के	सीमा तक		भर्ती द्वारा और 15% प्रोन्नति द्वारा
औसत पर 10500 के. डी.पी.एच/ 9000 के. डी.पी.एच/ के समुरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट।)			

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
(i) 10% रिक्तियों समूह 'श' वेतन मैट्टिक्स में स्तर -1 पाने वाले उन कर्मचावृन्द में से भरी जाएंगीं जो 12 वीं कक्षा या उसके समतुल्य पास हों और उक्त ग्रेड में विभागीय अहर्ता परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं। परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष हैं। (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष हैं।) टिप्पण - 1 : यदि खण्ड (i) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों से ज्यादा संख्या में कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण करते है तो उन अधिक कर्मचारियों पर आने वाले वर्षों में उदभूत रिक्तियों के लिए पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाएगा। (ii) रिक्तियों का 5% ज्येष्ठता-सह-	समूह 'ग' विभागीय / प्रोन्नित समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कार्यालय प्रमुख, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड II, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य	लाग् नहीं होता ।

[PART II—SEC. 3(i)]

उपयुक्ता के आधार पर समूह 'ग' के उन कर्मचारियों से भरा जाएगा जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर.1 के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं।

टिप्पण -2: जहां ऐसे किन व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हों, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो!

[फा.सं. डीएफएसएस/10(15)/2012] आर. के. सोनी. अवर मचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi, the 11th April, 2019

G.S.R.184.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (Class III posts) Recruitment Rules, 1975 in so far as it relate to the post of Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulation the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs, namely:-

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Forensic Science Services, Lower Division Clerk (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and Level in the Pay matrix.—The number of posts, its classification and
 the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed
 to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications etc. .—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matter connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.—No person, -

who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary to expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lower Division Clerk	18* (2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C'. Non Gazetted, Ministerial.	Level-2	Non Selection	Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. Where recruitment is not through SSC, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshwadeep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
 (i) Educational qualification: 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University. (ii) Skill Test norms on Computer: (a) English Typing @ 35 w.p.m. (b) Hindi Typing @ 30 w.p.m. (Time allowed: 10 mts) (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 	Yes, to the extent indicated in column (11).	Two years	85% by direct recruitment through Staff Selection Commission and 15% by Promotion.

10500 KDPH / 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word)		
In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)		
(i) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group C Staff in the Level 1 of Pay Matrix and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years' regular service in the grade/Level, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age-limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes). Note 1: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (i) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion & confirmation) consisting of: (i) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services - Chairman. (ii) Senior Scientific Officer, Gr.II, Directorate of Forensic Science Services - Member. (iii) Administrative Officer, Directorate of Forensic Science Services - Member.	(13) Not applicable.
(ii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C employees who have rendered three years regular service in posts with the Level 1 in the pay Matrix.		
Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and nave successfully completed probation period for promotion to the		
next higher grade along with their juniors who have already completed such		

[F. No. DFSS/10(15)/2012] R. K. SONI, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जून, 2019

सा.का.नि. 185.—केन्द्रीय सरकार असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप—धारा (2) के खंड (क) और (ख) के साथ पठित उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम राइफल्स हवलदार (लिपिक) भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स हवलदार (लिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।
 - ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

qualifying / eligibility service.